

बिहार सरकार  
राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग

प्रेषक,

मोना झा,  
उप निदेशक,  
बिहार सर्वेक्षण कार्यालय।

सर्व-मेल

सेवा में,

सभी समाहर्ता,  
बिहार।

पटना-15, दिनांक-27.02.26

विषय :- सरकारी भूमि से आच्छादित जमाबंदियों को चिन्हित कर प्रदर्शित करने के संबंध में।

प्रसंग :- विभागीय पत्रांक-2996(9), दिनांक-05.10.2023, पत्रांक-3585(9), दिनांक-05.12.2023 एवं पत्रांक-2821(9), दिनांक-01.10.2024

महाशय,

उपर्युक्त विषय एवं प्रसंग के संबंध में कहना है कि जिलान्तर्गत अवस्थित सभी तरह की सरकारी भूमि (खतियान के अनुसार) की ऑनलाइन Entry की गयी है तथा सरकारी भूमि के सत्यापन (Verification) हेतु विभाग द्वारा बिहारभूमि अंतर्गत ई-जमाबंदी मॉड्यूल में आवश्यक प्रावधान किये गये हैं।

खतियान एवं सरकारी भूमि पंजी के आधार पर दर्ज प्रविष्टि और सत्यापन कार्य पर आधारित विभिन्न राजस्व ग्रामों की सरकारी भूमि वाली जमाबंदियों को चिन्हित कर इसकी सूची अंचल अधिकारी के लॉगिन में प्रदर्शित की गयी है। लॉगिन में अंचलों द्वारा Entered एवं Verified सरकारी भूमि पंजी (खतियान/पंजी) को आधार बनाकर उन सभी जमाबंदियों को चिन्हित किया गया है जिनमें सरकारी भूमि पंजी में दर्ज खेसरा मौजूद हैं।

सरकारी भूमि से संबंधित जमाबंदियों की सूची देखने की प्रक्रिया निम्नवत् है :-

- अंचल अधिकारी बिहारभूमि पोर्टल पर e-Jamabandi मॉड्यूल में लॉगिन करेंगे।
- लॉगिन के बाद "Reporting" मेनू में जाकर "Search Govt Land Jamabandi" विकल्प पर क्लिक करेंगे।
- अब जिला, अंचल, हल्का, मौजा तथा वर्तमान में चल रहे जमाबंदी का आधार का चयन करेंगे।
- तदोपरान्त "Search" बटन पर क्लिक करेंगे।
- स्क्रीन पर उस राजस्व ग्राम (मौजा) की सभी ऐसी जमाबंदियों की सूची प्रदर्शित हो जाएगी, जिनमें सरकारी भूमि पंजी में दर्ज खेसरा शामिल है।

अतएव अनुरोध है कि विभागीय पोर्टल में किये गये उक्त प्रावधानों से अधीनस्थ अंचल अधिकारियों को निदेशित करने की कृपा की जाए।

विश्वासभाजन

  
(मोना झा),  
उप निदेशक।